म.प्र.ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण

(पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन)
खंड–2, पंचम तल, पर्यावास भवन, भोपाल म.प्र.

===

क्र 13243 / 22 / वि.12 / टी–5 / Newtech. /   / 17 भोपाल दिनांक 24 / 5 / 2017

प्रति,

महाप्रबंधक (समस्त),
म.प्र. ग्रामीण सडक विकास प्राधिकरण,
परियोजना कियान्वयन इकाई .... (म.प्र.)

विषयः– प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत नवीन तकनीकी हेतु पैनल कांक्रीट का कार्य कराने के संबंध में दिशानिर्देश।

––00––

उपरोक्त विषयांतर्गत मुख्यालय में दिनांक 23.05.2017 को श्री बी.बी. पाण्डे, सलाहकार, अनुसंधान प्रोद्योगिकी कंसलटेंसी, सिविल इंजिनिरिंग डिपार्टमेंट, आईआईटी, खडगपुर द्वारा पैनल कांक्रीट के संबंध में प्रस्तुतीकरण मुख्यालय के प्रमुख अभियंता, सभी मुख्यमहाप्रबंधक, महाप्रबंधक, क्षेत्रीय महाप्रबंधकों एवं एस.टी.एस. भोपाल के समक्ष किया। तदोपरांत एस.एस.आर. में दी गई दरें तथा अन्य अनुबंधों में दिये प्रावधान के अनुरूप पैनल कांक्रीट के संबंध में विस्तृत चर्चा की गई एवं पैनल कांक्रीट के कार्य कराने हेतु निम्नानुसार निर्णय लिया गया एवं तदानुसार पैनल कांक्रीट का कार्य कराया जावें:–

1. मजबूत बेस बनाने के लिए क्रस्ड स्टोन की जीएसबी की 10 से.मी. मोटाई में की जाए।
2. डब्ल्यू.बी.एम. / डब्ल्यू.एम.एम. की एक लेयर 75 एम.एम. की, की जाएगी।
3. उक्त बेस को Confined करने हेतु Housing अथवा Shoulder को पूर्व में निर्माण करना होगा।
4. उक्त बेस के ऊपर 125 माईक्रोन की एच.डी.पी.ई. फिल्म को बिछाकर 3 मीटर / 3.75 मीटर की चौड़ाई की सड़को में 75 से.मी. X 75 से.मी. के पैनल 12 से.मी. मोटाई के साथ रखे जाएगे।
5. पैनल कांक्रीट का कार्य एम–30 कांक्रीट से किया जाये।
6. कांक्रीट की कटिंग कांक्रीट को बिछाने के 18 से 24 घण्ट के भीतर ऊपर से एक तिहाई गहरी की जावे।

पैनल कांक्रीट के कार्य की सुदृढ़ता हेतु यह अतिआवश्यक कि उसका बैस गुणवत्तापूर्ण एवं मजबूत हो, अतः इस बात का विशेष ध्यान रखा जावें कि पैनल कांक्रीट के बेस के निर्माण में कार्य गुणवत्तापूर्ण एवं मजबूत हो।

(एम.के. गुप्ता) 24/5/17
प्रमुख अभियंता
मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण
भोपाल

पृ.क्र.13244....../22/वि.12/टी–5/Newtech./ /17 भोपाल दिनांक 24/5/2017

प्रतिलिपिः–

1. मुख्य महाप्रबंधक, म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, भोपाल इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, सागर, रीवा, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. समस्त महाप्रबंधक (तकनीकी) म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, मुख्यालय भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. गार्ड फाईल।

एम.के. गुप्ता) 24/5/17
प्रमुख अभियंता
मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण
भोपाल

H:\New Technology\General letter.docx